

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)  
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

जयवार आदि बनाम लिखमा आदि

दावा बाबत :- 88 RACT

मुकदमा नम्बर :- 384/2021

निर्णय दिनांक :- 17-12-2021

वादी की ओर से वकील नरेश कुमार की व प्रतिवादी सं0 1/11/21 की ओर से वकील रामभूति तावर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रेही मोजा आसन के खाता सं0 10/99 के खसरा सं 232/2, 232/3 कुला 14555 हे वारानो लूमि मुमि में हरपतराम उर्फ हरपतसिंह वल्द रीकुराम के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्गित वादमुमि में से हरपतराम उर्फ हरपतसिंह का नाम कलमपत्र किमा जाकार वादी सं0 जयवार वादी सं0 2 रघुवार का नहिस्सा वराराम के खातेदार काराकार घोषित किमा जात है मुमि प्रतिवादी सं0 1/11/21 ने उक्त वादमुमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी सं0 के पक्ष में त्याग कर चुका है किमा इसलिए वादा किमा गये हिस्से पर पंजीमन किमाग को द्रय पंजीमन मुल्क अदा करे व यदि कृषि मुमि वाद के खक हो तो खक मुक्त होन के अग्रान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल परामद किमा जाय रामगाम का डिक्री का भाग पदा जाय

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।  
यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
समझसल जिला हनुमानगढ़  
प्र.गा. के संग अ. - 2021  
कैम्प जोगीपता